

अधिसूचना संख्या एस.ओ. 911 (इ), दिनांक 20 सितंबर, 2001

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 471(इ), दिनांक 26 मई, 1995 द्वारा केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 1 पर, नवजीवन ब्लाइंड रिलीफ सेंटर (पंजीकृत), 2-22क, सप्तगिरि आश्रम, तिरुचनूर, ग्राम एवं पोस्ट तिरुपति रूरल-517 503, आंध्र प्रदेश द्वारा निष्पादित किए जाने वाले (a) निराश्रित और ग्रामीण नेत्रहीन बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और छात्रावास के निर्माण, सुसज्जीकरण और संचालन; (b) 50 निराश्रितों के लिए ग्रामीण जेरिएटिक ब्लॉक के निर्माण, सुसज्जीकरण और संचालन; (c) ग्रामीण गरीब और बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; और (d) तिरुचनूर गांव, तिरुपति रूरल, आंध्र प्रदेश में निवासियों के लिए सामुदायिक रसोई और भोजन कक्ष की योजना को मूल्यांकन वर्ष 1996-1997 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में विनिर्दिष्ट किया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 700(इ), दिनांक 3 अक्टूबर, 1997 के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए और विस्तार दिया गया था; और जबकि उक्त परियोजना या योजना के छह साल से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (1) के अंतर्गत उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने हेतु एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग की व्याख्या के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) निराश्रित और ग्रामीण नेत्रहीन बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और छात्रावास के निर्माण, सुसज्जीकरण और संचालन; (ख) 50 निराश्रितों के लिए ग्रामीण जेरिएटिक ब्लॉक के निर्माण, सुसज्जीकरण और संचालन; (ग) ग्रामीण गरीब और बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र; और (घ) तिरुचनूर गांव, तिरुपति ग्रामीण, आंध्र प्रदेश में निवासियों के लिए सामुदायिक रसोईघर और भोजन कक्ष, जिसका निर्माण नवजीवन अंध सहायता केंद्र (पंजीकृत), 2-21क, सप्तगिरि आश्रम, तिरुचनूर, गांव और पोस्ट तिरुपति ग्रामीण-517503 द्वारा, मात्र एक करोड़ दस हजार रुपये की अनुमानित लागत से, कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है।

[सं. 282/2001/एफ.सं. एन.सी-83/2001]